आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
राजभाषा अनुभाग

****

सं. सीईए-एसवाई-27-13/1/2022-रा.भा./65 दिनांक- 11जनवरी, 2024

विषय: **के.वि.प्रा. की 'विद्युत वाहिनी' राजभाषा त्रैमासिक पत्रिका के अप्रेल, 2024 के सप्तम् अंक में प्रकाशन हेतु रचनाएं भेजने का अनुरोध.**

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा त्रैमासिक पत्रिका '**विद्युत वाहिनी**' का षष्टम् अंक सुधी पाठकों को डिजिटल रूप में सौंप दिया गया है जो कि केविप्रा की वेबसाइट **www.cea.nic.in** के **राजभाषा पत्रिका** लिंक तथा हिंदी व अंग्रेजी खण्ड में **'नया क्या है'** के अन्तर्गत उपलब्ध है, साथ ही साथ शीघ्र ही हार्ड कॉपी के रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

2. पत्रिका का सप्तम् अंक तैयार किया जा रहा है, अतः निवेदन है कि 15 मार्च, 2024 तक विद्युत क्षेत्र से संबंधित अपने स्वरचित लेख/रचनाएँ एवं कविताएँ आदि अन्य विधाएँ पत्रिका में छपवाने हेतु यथाशीघ्र **vidyutvahini-cea@gov.in, rajbhashacea@gmail.com** पर भेजने का कष्ट करें जिसके प्रकाशन पर केविप्रा के कार्मिकों के लिए निम्नलिखित प्रकार से मानदेय दिए जाने का भी प्रावधान है-

- तकनीकी लेख के लिए अधिकतम राशि रू0 3000/- मात्र तथा

- गैर- तकनीकी लेख आदि के लिए अधिकतम राशि रू0 1500/-मात्र

लेख editable form में होने चाहिए, साथ में लेखक / लेखकों का नाम, पासपोर्ट आकार का फोटो, पदनाम, प्रभाग, फ़ोन नंबर व ईमेल भी भेजें । लेखों के साथ आपका बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक का नाम भी भेजा जाए, ताकि प्रकाशन के लिए लेख के चयन पर राशि की प्रतिपूर्ति की जा सके (Your bank account number, IFSC code, and bank name also be sent along with the articles, so that the amount can be reimbursed upon selection of the article for publication).

सामग्री भेजने के लिए ईमेल

vidyutvahini-cea@gov.in, rajbhashacea@gmail.com

केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों के कार्यकलापों व उपलब्धियों, पावर सेक्टर से संबंधित समाचार/बैठकों के समाचार, फोटो सहित सम्मिलित करने के लिए पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ आमंत्रित किए जाते हैं।

11/1/24

(ऊषा वर्मा)
उप निदेशक (राजभाषा) एवं
सहायक संपादक 'विद्युत वाहिनी', केविप्रा

सेवा में,

1. केविप्रा के सभी अधिकारी/कर्मचारीगण।
2. केविप्रा के सभी अधीनस्थ कार्यालय।
3. प्रतिलिपि सूचनार्थः राजभाषा प्रभारी एवं मुख्य अभियंता (आईसी एण्ड सी)
4. विद्युत क्षेत्र से संबंधित सभी उपक्रम/स्वायत्त निकाय/बोर्ड